

राजस्थान सरकार
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप-2) विभाग

क्रमांक: प.8(4)चिस्वा/2/2016

जयपुर, दिनांक : 03.07.2017

आदेश

राजस्थान चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा नियम, 1963 के नियम-24 बी एवं 24 बीबी (5) के अन्तर्गत गठित स्क्रीनिंग कमेटी की अभिशंषा पर निम्न चिकित्सा अधिकारी को डी.ए.सी.पी. स्कीम के अन्तर्गत दिनांक 11.07.2011 से वेतनमान 15600-39100 में ग्रेड पे 6600/- में पदोन्नत किया गया था, में तुरन्त प्रभाव से निम्नानुसार संशोधन किया जाता है:-

क. स.	नाम चिकित्सक	जन्मतिथि	पूर्व में स्वीकृत डी. ए.सी.पी. की तिथि	संशोधित डी. ए. सी. पी. देय तिथि
1	डॉ. हरीश चन्द जीगनर	01.01.1969	11.07.2011	11.07.2014

- डॉ. हरीश चन्द जीगनर के तीसरी सन्तान होने के कारण पूर्व में स्वीकृत डी.ए.सी.पी. की तिथि में संशोधन किया गया है।
- डा. जीगनर उक्त पदोन्नति के फलस्वरूप यथावत पदस्थापित रहेंगे।

राज्यपाल की आज्ञा से



शासन संयुक्त सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

- 1- विशिष्ट सहायक, मा. चिकित्सा मंत्री महोदय/मा. राज्यमंत्री महोदय।
- 2- निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकि. एवं स्वा. विभाग, राज. जयपुर।
- 3- सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
- 4- निजी सचिव, शासन सचिव, कार्मिक विभाग
- 5- निदेशक (जन स्वास्थ्य), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राज., जयपुर
- 6- संबंधित संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें जोन/मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी / प्रमुख चिकित्सा अधिकारी
- 7- संबंधित अधिकारी
- 8- कम्प्यूटर सैल/निजी/रक्षित पत्रावली।
- 9- प्रभारी सर्वर रूम, निदेशालय, मुख्यालय को भेजकर लेख है कि वे उक्त आदेश आदि ही विभाग की वेबसाईड पर अपलोड करावें।


शासन सहायक सचिव